



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 938 / 11-सी-FP/UP/Approach/49983/2020, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर 05, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-बस्ती में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा लखनऊ-गोरखपुर मार्ग (अयोध्या-बस्ती मार्ग) एन०एच० सं०-27 (पुराना एन०एच०-28) के किमी० नं०-167 (चैनेज सं०-166.102) के मध्य बांयी पटरी पर खसरा सं०-381, ग्राम-बड़हरकला, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.187502 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 71 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/185/2021/एफ०सी०/497, दिनांक 01.11.2021 एवं वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती का पत्रांक-829/33-1, दिनांक 26.09.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती के उपरोक्त पत्रांक-829/33-1, दिनांक 26.09.2023 द्वारा इस कार्यालय को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भववीय,

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 938 / 11-सी-FP/UP/Approach/49983/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, बस्ती।
3. उप महाप्रबन्धक (रिटेल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०, गोरखपुर-देवरिया रोड, बैतालपुर, देवरिया।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

FORM-1
(for Non Linear Projects)
Government of Uttar Pradesh

Office of the District Magistrate/ Collector, Basti

No. 1161 / 33-1

Date. 04/09/2023

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 03-08-2009 and dated 05-02-2013 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forestry purposes. In further modification of above said letters, (MoEF) exempted the requirement of initiation and completion of process for recognition and vesting of forest rights of scheduled tribes and other traditional forest Dwellers in case of Non Linear Projects vide ministry of environment and forest (MoEF) Government of India's letter no.11-9/98/FC (pt.) dated 28-10-2014.

In compliance of Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter.No. 11-9/98-FC(pt.) dated 28-10-2014, It is certified that an area of **0.187502 hectare of Protected forest area situated Alongwith Lucknow- Gorakhpur Road in Village Badhar Kala, Tehsil-Harriya, District-Basti "Plantation notified as Protected Forest** proposed to be diverted in favour of (name of user agency) Hindustan Petroleum Corporation limited Gorakhpur. Provincial Office District-Gorakhpur (purposed for diversion of Protected forest) for Exit/Entry Retail Outlet.

It is further certified that the proposal does not involve Recognized Right of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture communities and the Plantations is declared Forest Land on Gazette Notification No. 96AF/XIV-196-9 dated 17 feb 1940, it is notified as "Protected forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and are located in **Village Badhar Kala, Tehsil-Harriya, District-Basti** having no recorded population of Scheduled Tribes, as per Census- 2001 and the census-2011.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
बस्ती

18/12/2020
District Magistrate/ Collector
Basti